दिनांक-10.08.2022 को उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार की अध्यक्षता में सम्पन्न "जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट" लातेहार की प्रबंधकीय समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

दिनांक-**10.08.2022** को उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार की अध्यक्षता में **"जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट" लातेहार** की प्रबंधकीय समिति की बैठक हुई। बैठक में सर्वप्रथम गत प्रबंधकीय समिति में लिए गये निर्णयों के संबंध में अद्यतन स्थिति एवं उनके अनुपालन के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इसके उपरांत बैठक में एजेंडा के अनुसार चर्चा प्रारम्भ हुई। जिसमें **"लातेहार जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट"** की प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

1. बैठक में सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष-2022-23 के लिए जिले के विभिन्न ग्राम सभाओं से प्राप्त वार्षिक योजना के संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुई। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि ग्राम सभा से प्राप्त वार्षिक योजनाओं में अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का अनुपात बहुत अधिक है। अतएव प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता एवं अन्य प्राथमिकता वाले योजनाओं के अनुपात जो कि क्रमशः 60 एवं 40 हैं, के अनुपालन हेतु बैठक में सिर्फ उच्च प्राथमिकता वाले योजनाओं **(अनुलग्नक-क)** के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में समीक्षोपरान्त उन योजनाओं को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि जिन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से किसी भी मद से राशि प्राप्त नहीं होती हैं वैसी ही योजनाओं को डी0एम0एफ0टी0 मद से क्रियान्वित कराया जाए। उपायुक्त, लातेहार ने उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव, डी0एम0एफ0टी0 को निदेश दिया कि क्रियान्वयन से पूर्व योजना के अनुलिपिकरण के संबंध में जांचोपरान्त कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें, इससे सरकार की राशि का सदुपयोग सही तरीके से होगा। उपायुक्त ने सोलर से संबंधित योजनाओं में ज्रेडा के माध्यम से अनुदान का लाभ प्राप्त करने एवं गैर अनुदानित राशि ही व्यय करने का निदेश दिया गया। उपायुक्त ने योजनाओं कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्राक्कलन भारत सरकार के मानक एवं निर्धारित अनुसूची दर के अनुसार तैयार करने का निदेश दिया। चन्दवा प्रखण्ड के चन्दवा पूर्वी पंचायत के ग्राम सभा से प्राप्त कस्तुरबा विद्यालय एवं हरिजन विद्यालय में डिजिटल क्लास की व्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से लातेहार जिले के उन उच्च विद्यालयों में छात्रों को उच्च स्तर के शिक्षण पाठ्यक्रम डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु निर्णय लिया गया जहाँ विद्युत एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हैं। उपायुक्त, लातेहार ने योजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व इसकी उपयोगिता हेतु उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव, जिला पंचायत राज पदाधिकारी-सह-सदस्य नोडल पदाधिकारी एवं पी0एम0यू0-डी0एम0एफ0टी0 को मन्तव्य उपलब्ध कराने का निदेश दिया।

(अनुपालन :-जिला पंचायत राज पदाधिकारी,लातेहार)

2. बैठक में विभिन्न ग्राम सभा से विद्यालयों में आवश्यकतानुसार घंटी आधारित शिक्षकों का अस्थाई रूप से सेवा प्रदाता माध्यम से नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। समीक्षोपरान्त इस प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया की जा रही है। अतएव डी0एम0एफ0टी0 मद से शिक्षकों की अस्थाई नियुक्ति उचित नहीं है।

(अनुपालन :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार)

3. बैठक में विभिन्न ग्राम सभा से बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार डॉक्टर एवं पारा मेडिकल कर्मीयों की अस्थाई रूप से सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। समीक्षोपरान्त सिविल सर्जन, लातेहार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नियुक्ति के पश्चात अद्यतन रोस्टर के अनुसार डाक्टर एवं पारा मेडिकल कर्मीयों के आवश्यकता से संबंधित एक विस्तृत प्रतिवेदन आगामी प्रबंधकीय समिति में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :-असैनिक शल्य चिकत्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लातेहार)

4. बैठक में सरकारी आवासीय विद्यालयों में पुस्तकालय के अधिष्ठापन से संबंधित ग्राम सभा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। समीक्षोपरांत सर्वसम्मति से जिले के सरकारी आवासीय विद्यालयों में आधुनिक पुस्तकालय की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में विद्यालयों में ई-लर्निंग की सुविधा प्रदान करने हेतु मॉडल पुस्तकालय में पुस्तकों के साथ-साथ कम्प्युटर, प्रिंटर एवं इन्टरनेट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार)

5. बैठक में खनन प्रभावित प्रखण्डों में पूर्व से निर्मित शौचालय में डी0एम0एफ0टी0 मद से व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से आवंटन मांगने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया एवं इसके लिए विभाग से यथाशीघ्र पत्राचार हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार)

6. बैठक में सदर अस्पताल, लातेहार में संचालित ICU एवं आदिम जनजाति कल्याण अस्पताल, मननचोटांग में संचालित PICU में डी0एम0एफ0टी0 मद से सेवा प्रदाता के माध्यम से मानव संसाधन उपलब्ध कराने पर विस्तृत चर्चा हुई। सिविल सर्जन,

लातेहार ने बताया कि वर्तमान में सेवा प्रदाता के माध्यम से मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है, परन्तु कार्यरत सेवा प्रदाता की विस्तारित अवधि समाप्त हो गयी हैं। समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से सदर अस्पताल, लातेहार में संचालित ICU एवं आदिम जनजाति कल्याण अस्पताल, मननचोटांग में संचालित PICU में मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सेवा प्रदाता के चयन के लिए यथाशीघ्र निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन :- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लातेहार)

7. बैठक में जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए गठित पी0एम0यू0 के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव ने बताया कि वर्तमान मे गठित पी0एम0यू0 के एकरारनामा की अवधि समाप्त हो रही है। समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से पी0एम0यू0 गठन के लिए यथाशीघ्र निविदा आमंत्रण करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार)

8. बैठक में चन्दवा पश्चिमी पंचायत से अग्निशामक वाहन हेतु प्राप्त ग्राम सभा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। समीक्षोपरान्त जिले के वनों में लगने वाले आग से बचाव एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 02 अदद अग्निशामक वाहन क्रय करने हेतु विभाग से अनुमति प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार)

बैठक में जिले के स्थानीय नागरिकों की आजीविका बढाने हेतु इको टुरिज्म एवं खनन प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया साथ ही जिले के भवनहीन विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को चिन्हित कर ग्राम सभा के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर यथाशीघ्र पूर्ण कराने का भी निर्णय लिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी-सह-सदस्य, नोडल पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।	उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।	उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।

ज्ञापांक :- 1086 /डी0आर0डी0ए0, लातेहार दिनांकः- 05.9.22

प्रतिलिपि :- सभी सदस्यो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी, लातेहार जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला पंचायती राज पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सचिव, खान एवं भू-तत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।	उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।	उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।